मध्य प्रदेश विद्युत् मंडल (मीटिंग) विनियम, 1957

1. नियम 1
2. नियम 2
3. नियम 3
4. नियम 4
5. नियम 5
6. नियम 6
7. नियम 7
8. नियम 8
9. नियम 9
10. नियम 10
11. नियम 11
12. नियम 12
13. नियम 13
14. नियम 14
15. नियम 15
16. नियम 16
17. नियम 17
18. नियम 18
19. नियम 19
20. नियम 20
21. नियम 21

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

मध्य प्रदेश विद्यत् मंडल (मीटिंग) विनियम, 1957

नागपुर, 1 अप्रैल, 1975 क्रमांक आयु-आर/सी914 ए -विधुत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का सं० 54) की धारा 9 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्य प्रदेश विद्युत् मंडल एतदद्वारा संकल्प क्रमांक 4 दिनांक 1 अप्रैल, 1957 व्दारा अपेक्षित खण्ड ख में विनिर्दिष्ट और उसके अध्यधीन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है---

विनियम

1. इस विनिमय को प्रयोग में लाते हुये मंडल मीटिंग विनियम, 1957 कहा जा सकेगा ।

2. इस विनियम में, -
   - (क) "अधिनियम' से अभिप्रेत है वियुक्त प्रदाम्य अधिनियम, 1948 (1948 का सं० 54) समय-समय पर यथा संशोधित;
   - (ख) “कार्यसूची" से अभिप्रेत है प्रस्तावित व्यवसाय की सूची जिस पर कार्यवाही की जाना है;
   - (ग) "सभापति" से अभिप्रेत,है मंडल का सभापति और अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन नियुक्त किया गया हो;
   - (घ) “सभा” से अभिप्रेत है मंडल की साधारण या आसाधारण सभा;
   - (ङ) 'सदस्य" से अभिप्रेत है मंडल का सदस्य जो अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किया गया हो;
   - (च) "सचिव" से अभिप्रेत है मंडल का सचिव जो अधिनियम की धारा 15 के अधीन नियुक्त किया गया हो ।

MAPIT (MP Code)

(2) जिन पदों और: अभिव्यक्तियों को इन विनियमों में प्रयुक्त किया गया है किन्तु उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है का वही तात्पर्य होगा जो अधिनियम में किया गया है का वही तात्पर्य होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है ।

www.code.mp.gov.in

(3) इन विनियमों की व्याख्या करने में कोई शंका उत्पन्न होती हो तो उस पर सभापति का निर्णय अभिभावी होगा ।

3. (1) मंडल की बैठक सामान्यत: माह में एक बार कारबार: के संव्यवहार को सम्पादित करने के लिये अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार होगी :

परन्तु यह कि यदि सभापति चाहे तो गणपूर्ती के लिये आवश्यक सदस्यों से विनियम 10 के अनुसार लिखित सूचना प्राप्त होने पर स्पष्ट, उल्लेखित किये विषय पर विचार करने के लिये, ऐसी सूचना प्राप्त होने के दिनांक से मंडल की सभा 10 दिन के भीतर बुला सकेगा ।

(2) मंडल की प्रत्येक सभा सामान्यत: मडल के कार्यालय में कार्यालयीन समय में होगी :
परन्तु यह कि सदस्यों के बहुमत की सहमति के आधार पर इस प्रयोजन हेतु सभा राज्य के भीतर या बाहर निर्धारित समय पर भी आयोजित की जा सकेगी ।

4. विनियम 3 के खण्ड (27) के परन्तु के अध्यधीन जब मंडल सभा बुलाना चाहे तो सचिव प्रत्येक सदस्य को ऐसी सभा के स्थान एवं समय की सूचना देगा ।

5. मंडल की प्रत्येक सभा के लिये सूचना लिखित में सामान्यत: सात दिन पूर्व दी जाएगी :
परन्तु यह कि सदस्यों की सहमति से मंडल की सभा बिना सूचना या अल्प सूचना पर आयोजित की जा सकेगी ।

परन्तु आगे यह यदि कोई सदस्य सभा के लिये निर्धारित किये गये समय पर भारत के बाहर हो तो ऐसे सदस्य को सूचना देने का प्रबन्ध किया जायेगा ।

6. (1) विनियम 5 के अधीन प्रत्येक सभा की सूचना, सचिव व्दारा प्रत्येक सदस्य को कारोबार की कार्यसूची सहित जहाँ तक व्यवहारिक रूप से संभव हो, संक्षिप्त सार के साथ दी जायेगी ।

(2) अन्य कोई कार्य जो कार्य सूची के अन्तर्गत न हो किन्तु अधिनियम के अधीन आता हो उस पर सभापति की अनुमति के सभा में विस्तृत विचार किया जा सकेगा ।

7. सभा की सूचना नहीं मिलने के कारण, किसी सदस्य दारा बिना किसी कारण ऐसी सभा में पारित प्रक्रियाओं के ऐसे विलोपन या उसे अमान्य करने अथवा किसी स्वीकृत संकल्प को निरस्त नहीं माना जायेगा ।

8. सचिव व्दारा व्यवहारिक एवं आवश्यक रूप से यथा संभव प्रत्येक सदस्य को कार्य- सूची से सम्बन्धित नीति या कोई नीतिगत विषय पर सभी सम्बन्धित जानकारी या प्रतियों के साथ प्रसारित या पूर्ती करेगा ।

MAP IT (MP Code)

9. (एक) विनियम 5 के अधीन कोई सदस्य सभा की सूचना प्राप्त होने पर चार दिन पूर्व सूचित कर सकेगा कि नियत किया गया सभा का समय उसे उपयुक्त नहीं है और वह सभा के लिये अन्य दिनांक से सचिव को अवगत करा सकेगा ।

www.code.mp.gov.in

(दो) सचिव ऐसी सूचना को तुरन्त सभापति के आदेश के लिये रखेगा, जो कि अन्य सदस्यों से विचार विमर्श करने के पश्चात्, यदि संभव हो तो सभा के लिये अन्य दिनांक निश्चित करने का सुझाव दे सकेगा ।

10. (एक) मण्डन की सभा के लिए दो सदस्यों की गणपूर्ती होगी यथासंभव अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) व्दारा नियुक्त सदस्यों की संख्या तीन है और प्रत्येक दो सदस्यों के ऊपर एक अतिरिक्त सदस्य की मंडल सभा में वृद्धि कर सकेगा ।

(दो) जब मंडल में कोई स्थान रिक्त होगा या एक या अधिक सदस्य अनुपस्थिति, अवकाश या अन्य कारण से तथा अधिनियम की धारा 11 के अधीन रिक्त स्थान पर कोई प्रबन्ध नहीं किया हो, तो गणपूर्ती खण्ड (एक) में विहित किये अनुसार प्रत्येक दो सदस्यों पर एक सदस्य की कमी की जा सकेगी ।

11. यदि सभापति अवकाश पर हो या किसी कारण से सभा में उपस्थित न हो तो । सभापति सभा

में उपस्थित सदस्यों में से चुना जायेगा जो कार्यवाही का संचालन करेगा और उस सभा में सभापति के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

12. (1) यदि नियत की गई सभा के समय उपस्थित सदस्यों की गणपूर्ती विनियम 10 के अनुरूप न हो तो सभापति बीस मिनिट तक प्रतीक्षा करेगा ।

(2) यदि नियम 10 के अनुसार खण्ड (1) में उल्लेखित सदस्य गणपूर्ती के अनुरूप उपस्थित न हो, तो सभापति सभा को स्थगित कर सकेगा ।

13. यदि मंडल संकल्प करे, सभापति किसी भी समय किसी भी सभा को किसी आगामी दिन या उसी दिन किसी अन्य समय के लिये, यदि यवहारिक हो तो ऐसी सूचना सभी सदस्यों को, जो इस सभा में उपस्थित नहीं हुये हैं ।

14. जब सभा किसी आगामी दिवस के लिये स्थगित की जाती है कोई कार्यसूची का विषय चर्चा या चर्चा के लिये शेष रह जाता है, स्थगित किये जाने के समय, अब तक सभापति निर्देश न दे, पूर्वक्रम अनुसार कार्यसूची पर उसके तुरन्त पूर्व सभा में स्थगित कर सकेगा ।

15. सचिव साधरणतः सभी सभाओं में उपस्थित रहेगा और जब आवश्यक हुआ तब सभी चर्चाओं में सम्मिलित हो सकेगा, किन्तु मत नहीं देगा ।

16. मंडल किसी भी व्यक्ति को विशिष्ट कारण के लिये सभा में बुला सकेगा मंडल की चर्चाओं में उसे सम्मिलित कर सकेगा । ऐसा व्यक्ति जिसे आमवित किया गया हो, मंडल व्दारा चाहे अनुसार चर्चाओं में भाग ले सकेगा, किन्तु मतदान नहीं कर सकेगा ।

MAP_IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

17. (1) मंडल किसी ठेकेदार या पूर्तीकर्त्ता या समान व्यक्ति जो कि मंडल का कर्मचारी न हो, तथा ठेके या आपूर्ती से सम्बन्ध न रखता हो, व्दारा प्रस्तुत अम्यावेदन या अपील पर विचार कर सुनवाई कर सकेगा, वश, वह एक पीड़ित पक्ष हो :

परन्तु यह कि पुनश्चः ऐसे अभ्यावेदन मंडल व्दारा निर्धारित नियमों के अनुसार हो । ऐसा व्यक्ति जिसे बुलाया गया हो, सभा के नियमों के अनुरूप, अपना पक्ष एवं किसी प्रश्न का उत्तर दे सकेगा किन्तु उसके पश्चात् सभा के सभापति के निर्देशानुसार, वह न तो भाग ले सकेगा न ही मंडल की चर्चाओं के समय उपस्थित होगा ।

(2) मंडल के नियमों में जहां उल्लेखित किया गया हो, मंडल साक्षात्कार और किसी प्रतिवेदन पर विचार (सुनवाई) कर सकेगा, अपने कर्मचारी के किसी विषय या अपील पर ऐसे आमन्त्रित कर्मचारी अपने प्रकरण का स्वयं प्रतिनिधित्व करेगा मंडल दारा निर्धारित नीति के अनुसार और कोई प्रश्न उठने पर उत्तर दे सकेगा किन्तु भविष्य में सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् मंडल के सभापति व्दारा निर्देश देने पर वापस ले सकेगा ।

18. दैनिक और आवश्यक विषयों पर मंडल की सभा में सम्बन्धित विषयों को मंडल के सदस्यों

के मध्य वितरित कर विचार कर सकेगा और वे निर्णय से एकमत होकर सहमत हुये तो, ऐसे निर्णय मंडल की सभा में निर्णीत किये गये माना जायेंगे और उन्हें तद्नुसार सभा कार्यवाही में पंजी में इन्द्राज (प्रविष्ट) किया जायेगा । यदि किसी विषय को मंडल की आगामी सभा में संदभित किया जा सकेगा ।

19. मन्डल की कार्यवाही साधारणत- अंग्रेजी में संचालित की जाएगी या अन्य भाषा में जो मन्डल, संकल्प व्दारा नियत करे ।

20. (1) मन्डल की सभा की कार्यवाही का ब्यौरा सचिव व्दारा सभा कार्यवाही पंजी में प्रविष्ट किया जायेगा । अन्य विषयों के अतिरिक्त इसमें सम्मिलित होंगें-

(क) मन्डल की सभा में उपस्थित सदस्यों के नाम और सचिव की उप- स्थिति; और'

(ख) सभा की कार्यवाही, निर्णीत संकल्पों सहित और उसमें लिये गये निर्णय ।

(2) उन्हें इस प्रकार पंजी बद्ध किया जायेगा कि एक दूसरे निर्णय के मध्य रिक्त स्थान न छोड़ा गया हो और बाद में कांट-छांट के लिये स्थान न हो ।

21. मन्डल की कार्यवाही, जहां तक संभव हो, सभापति व्दारा हस्ताक्षरित की जावेगी तथा प्रथम दृष्टि में वास्तविक रूप से पारित संकल्प के उस प्रयोजन हेतु उसमें साक्ष्य होगी ।
[मध्य प्रदेश राजपत्र भाग थ (ग) दिनांक 17-5-1957 के पृष्ठ 381-383 पर प्रकाशित ।]

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in